न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 87 सन 2024

अनवान :–

1. पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/03/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा भूमि वादी पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन कानसर को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी। आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी/आवंटी पतराम पुत्र भानीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा कानसर के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा की भूमि वादी पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी भूमि हाल पैमाईश में रोही मोजा कानसर के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन किया जाकर रोही मौजा कानसर के खसरा न0 866 की 2.9210हैक्ट में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है जो वादी के कब्जा काश्त में आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है आवंटन नियमों की पूर्णत्या पालना की जा रही है।

वादी पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी नियामानुसार खातेदार हो गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी पतराम पुत्र भानीराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866 की 2.9210हैक्ट भूमि जो वादी पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट साकन कानसर तहसील नोहर को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी जो वादी के नाम व कब्जा काश्त में रही थी वादी को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में रिपोर्ट [illegible] की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद [illegible] है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त [illegible] का अधिकारी है एवं [illegible] सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमा[illegible] पेरोकार राज का ज[illegible]शामिल मिसल किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा भूमि वादी पतराम पुत्र भानीराम को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी। आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी/आवंटी पतराम पुत्र भानीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा कानसर के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा की भूमि पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी भूमि हाल पैमाईश में रोही मोजा कानसर के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन किया जाकर रोही मौजा कानसर के खसरा न0 866 की 2.9210हैक्ट में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है जो वादी के कब्जा काश्त में आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है आवंटन नियमों की पूर्णत्या पालना की जा रही है।

वादी को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी पतराम पुत्र भानीराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी पतराम पुत्र भानीराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866 की 2.9210हैक्ट भूमि के वादी का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा कानसर के हाल खसरा न0 866 की कुल 11.11 बीधा भूमि वादी पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन कानसर को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश /तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि वादी पतराम पुत्र भानीराम को दिनांक 26.11.1975 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट को रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 866 में भूमि आवंटन की गई थी वादी को दिनांक 26.11.1975 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी भूमि हाल पैमाईश में रोही मोजा कानसर के खसरा न0 866 की 11.11 बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन किया जाकर रोही मौजा कानसर के खसरा न0 866 की 2.9210हैक्ट में परिर्वतन पैमुद हो चुकी है जो वादी के कब्जा काश्त में आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एव दस्तावेजात से साबित है

वादी का कथन है कि वाद भूमि आवंटन दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन दिनांक 26.11.1975 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी को आवटन की गई भूमि का वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता किशनाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन झेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी का[illegible]ना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त रा[illegible] किये जा सकते है।

वादी पतराम पुत्र भ[illegible]किन कानसर (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा कानसर के [illegible]सरा न0 866 की कुल 2.9210हैक भूमि आवंटन दिनांक 26.1.1975 को आवटन की गई थी जो राजस्व रिकार्ड में पतराम के नाम बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा कानसर के खसरा न0 866 की कुल 2.9210हैक भूमि वादी पतराम पुत्र भानीराम को दिनांक 26.11.1975 को आवंटन की गई थी जो आवंटन आदेश ,एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि जो वादी को आवंटन की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादी को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866/2 की 2.9210हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आॅडर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. पतराम पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 87 सन 2024 निर्णय दिनांक – 11/03/2026

आज यह वाद मुझ राहूल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 802/783 के खसरा न0 866/2 की 2.9210हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested